न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

जमान आवेदन कमांक–135/2022
अपराध कमांक 513/2022
सी.एन.आर.एम.पी.19050022732022

शैलेन्द्र सिंह पिता रामानन्द सिंह उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम कृष्णगढ़ थाना अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

...........आवेदक/अभियुक्त

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा थाना अमरपाटन जिला सतना म.प्र.।

.... अभियोजन

प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 20.10.2022

राज्य द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा अपर लोक अभियोजन मोबाईल व्ही.से. के माध्यम से उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्तग शैलेन्द्र सिंह की ओर से श्री रामाश्रय पटेल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

न्यायालय– श्री कमलेश कुमार कोल जे.एम.एफ.सी. अमरपाटन के न्यायालय से **थाना अमरपाटन के अपराध कमांक 513/2022 अन्तर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम** से संबंधित रिमाण्ड पत्रावली एवं केस डायरी मेरे समक्ष पेश।

उभयपक्ष के जमानत आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक/अभियुक्त का धारा 439 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन के संबंध में शपथकर्ता **श्री रामानंद सिंह पिता श्री रामलखन सिंह उम्र 66 वर्ष निवासी कृष्णगढ़ थाना अमरपाटन जिला सतना म.प्र.** का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र पूर्व में किसी सक्षम सत्र न्यायालय एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है न ही निराकृत है, जिसका कोई खण्डन अपर लोक अभियोजक द्वारा नहीं किया गया है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2022 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि व्यक्ति असरार तरफ से एक काले रंग की मोटरसाईकल कमांक एम पी 19 एम क्यू 9450 में दो बोरियों में अवैध शराब रखकर बिक्री करने हेतु लालपुर अमरपाटन तरफ से लेकर आ रहा है। जिसकी सूचना प्राप्त कर थाना प्रभारी को जरिये फोन से अवगत कराकर सूचना रो.सा. कमांक 39 के 03.26 बजे दर्ज कर हमराह मय शासकीय वाहन एवं साक्षीगण विनोद कुमार सोनी और संतोष त्रिपाठी के प्राप्त सूचना की तस्दीक कार्यवाही हेतु

ग्राम लालपुर असरार मोड़ तरफ रवाना होकर ग्राम लालपुर मोड़ स्कूल के पास पहुंचकर असरार तरफ से आने जाने वाली मोटरसाईकल वाहनो को चेक किया जाने लगा तब करीब 05.10 बजे असरार तरफ से एक काले रंग की मोटरसाईकल क्रमांक एम पी 19 एम क्यू 9450 आते दिखाई दी जिसे घेराबंदी करके रोकवाया जाकर चालक से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शैलेन्द्र सिह पटेल पिता रामनंद सिंह पटेल उम्र 36 साल निवासी कृष्णगढ़ थाना अमरपाटन का बताया फिर अपनी सहमति से अपनी मोटरसाईकल व बोरियो को चेक कराया तो मोटरसाईकल मे दो बोरियों मे कुछ भरे हुये दोनो तरफ लटकाये हुये रखे था जिसे खोलकर चेक किया तो उसके अन्दर अंग्रेजी गोवा व्हिस्की शराब रखी पायी गयी तथा अवैध शराब को जमीन पर फैला कर गिनती की गई तो 356 पाव अंग्रेजी गोवा शराब प्रत्येक शीशियों में 180 एम.एल. कुल 64.80 बल्क लीटर कीमती 38092 रूपये पायी गयी आरोपी को धारा 91 जा.फौ. की नोटिस दी जाकर उपरोक्त शराब के अधिपत्य में रखने एवं परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज चाहे गये जिसने अपने पास कोई वैध दस्तावेज न होना बताया तथा उपरोक्त अवैध शराब स्वयं खरीद कर बिक्री करने हेतु मोटरसाईकल मे रखकर लालपुर अमरपाटन लाना बताया गया। आरोपी के पास कोई वैध कागजात न होन पर उसके कब्जे से 356 पाव अंगेजी गोवा शराब प्रत्येक शीशी में 180 एम एल **कुल 64.80 बल्क लीटर** कीमती करीबन 38092 रूपये की एवं मोटरसाईकल क्रमांक एम पी 19 एम क्यू 9450 कीमती करीबन 45000 रूपये की मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहन उपरोक्त के दिनांक 18.10.2022 के 05.25 बजे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया एवं 02 क्वार्टर शराब सेम्पल परीक्षण हेतु निकाली जाकर शील बंद किया जाकर ए1 चिन्हित किया गया एवं बचा माल 354ए चिन्हित किया गया तथा अरोपी शैलेन्द्र सिंह पटेल का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताते हुये मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को जरिये फोन दी गई। आरोपी के गिरफ्तरी का कारण आवश्यक होने से चेक लिस्ट तैयार किया गया। जप्तसुदा शराब मय सीलबंद एवं गिरफ्तारसुदा आरोपी तथा जप्तसुदा वाहन व मय हमराही स्टाफ शासकीय वाहन के वापस थाना आकर अपरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना कार्यवाही अभी शेष है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त को राजनीति कारणों अभियुक्त के विरूद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदकग/अभियुक्त दिनांक 18.10.2022 से उपजेल मैहर में न्यायिक अभिरक्षा में है एवं वे स्थानीय निवासी है इसलिये उनके भागने एवं फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलका प्रस्तुत

करने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर उन्मुक्त किया जावे।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा तर्क के दौरान आवेदक को जमानत दिये जाने का मौखिक विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना गया। तर्क के प्रकाश में रिमाण्ड पत्रावली एवं केश डायरी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना अमरपाटन में अपराध क्रमांक 513/2022 धारा 34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

केश डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त से **कुल 64.80 बल्क लीटर शराब** शराब अवैध रूप से विक्री हेतु परिवहन किया जा रहा था एवं आवेदक द्वारा शराब परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से शराब की जप्ती अधिक मात्रा में की गई है एवं अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. का स्वीकार योग्य प्रतीत न होने से अस्वीकार करते हुए निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न कर रिमाण्ड पत्रावली वापिस भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी साथ वापिस भेजी जावे।

आदेश की प्रति सी आई एस में विधिवत अपलोड की जावे।

परिणाम लेखबद्ध कर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सही/—
दीपक शर्मा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

प्रतिलिपिः—

1. रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न।
2. केस डायरी के साथ संलग्न।

Digitally signed by DEEPAK SHARMA
Date: 2022.10.20 16:57:22 +0000

दीपक शर्मा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अमरपाटन जिला सतना म.प्र.